प्रेस नोट दिनांक- 05.11.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह व0उ0नि0 राजनारायण सिंह, हे0कां0 रामजन्म प्रसाद, कां0 अनिल कुमार, कां0 सुमित कुमार, द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65(1), 137(2), 87 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त जैद अली पुत्र शेर अली निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना नवाबगंज क्षेत्रातंर्गत जमादार बाबा गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जैद अली पुत्र शेर अली निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह व0उ0नि0 राजनारायण सिंह, हे0कां0 रामजन्म प्रसाद, कां0 अनिल कुमार, कां0 सुमित कुमार थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

एण्टी-रोमियो स्क्वाड एवं मिशन शक्ति टीम पट्टी द्वारा ई-रिक्शा सवार महिला के आभूषण चोरी की घटना का सफल अनावरण — तीन महिला अभियुक्ताएं गिरफ्तार, चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण (लगभग ₹2,50,000 मूल्य के) बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम पट्टी द्वारा बीबीपुर नहर पुलिया के पास से ई-रिक्शा सवार महिला के आभूषण चोरी की घटना में संलिप्त तीन महिला अभियुक्ताएं गिरफ्तार, चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण (लगभग ₹2,50,000 मूल्य के) बरामद

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह बाजार से ई-रिक्शा द्वारा मायके जा रही महिला के साथ सफर के दौरान 03 अज्ञात महिलाओं द्वारा बैग में रखे सोने-चाँदी के आभूषण चोरी, थाना पट्टी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था-

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना पट्टी की मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 04.11.2025 को ग्राम ढाढर, थाना आसपुर देवसरा की 01 महिला थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह बाजार से ई-रिक्शा द्वारा अपने मायके ग्राम जामताली, थाना रानीगंज जा रही थी। उसी दौरान ई-रिक्शा में सवार तीन अज्ञात महिलाओं द्वारा उसके बैग में रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में वादिनी की तहरीर पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 316/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम की प्रभारी म0उ0नि0 ज्योति सविता मय हमराह म0का0 कल्पना यादव, म0का0 खुशबू साहू, म0का0 प्रिया मिश्रा, म0का0 रितु सिंह तथा म0का0 अंजू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित के दौरान मुखबिर की सूचना पर बीबीपुर नहर पुलिया के पास से घटना से संबंधित तीन महिला अभियुक्ताएं— 01. किरण पत्नी ध्रुवराज कुमार उम्र 40 वर्ष, 02. पुनिता पत्नी मिथुन कुमार उम्र 30 वर्ष, 03. संगीता पत्नी संजय कुमार उम्र 32 वर्ष, समस्त निवासीगण चिल्हीरामपुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर—को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ताओं के कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु), 02 अदद कान के झुमके (पीली धातु), 02 अदद कान के टप्स (पीली धातु), 02 अदद लड़ी वाली बिछिया (सफेद धातु), 02 अदद बिछिया (सामान्य सफेद धातु) व 02 अदद पाजेब (सफेद धातु) बरामद (लगभग ₹2,50,000 मूल्य के) किए गए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। अलग-अलग जगहों पर जाकर गहने व कीमती वस्तुएं चोरी करना और फिर चोरी की चीजों भिन्न-भिन्न जगहों पर जाकर बेच देना और उनसे मिले पैसों का इस्तेमाल अपने जीवन यापन में करना यही हमारा काम है। इसी फिराक में आज हम लोग कई साधन बदलते हुए पट्टी आकर चोरी के लिए सही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे कि उडैयाडीह मोड़ पर एक महिला अपने बच्चे को लेकर ई रिक्शा में बैठी जो देखने में ठीक ठाक घर परिवार से लग रही थी। हम लोग भी उसी ई-रिक्शा में बैठ गए और ई-रिक्शा में उसके बैग से गहनों को चुरा लिए पर उस महिला को कुछ समय बाद जानकारी हो गयी और वो हम लोगों की तलाश करने लगी तो हम लोग खेत में जाकर छिप गये थे और वहीं पर चोरी के गहनों को आपस में बाट लिए थे। फिर अंधेरा होने पर निकले और यहां पर खड़े होकर साधन का इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। आभूषणों के बारे में बताया कि ये जो गहने है वो उस महिला के है जो हम लोगों के साथ ई-रिक्शा में बैठी थी हमने उसके गहनों को चुरा कर आपस में बांट लिया था और यह जो पर्स जिसमें पैसे मिले हैं यह हम लोगों के खुद के पर्स व पैसे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

01. किरण पत्नी ध्रुवराजकुमार उम्र 40 वर्ष,

02. पुनिता पत्नी मिथुन कुमार उम्र 30 वर्ष,

03. संगीता पत्नी संजय कुमार उम्र 32 वर्ष समस्त निवासी गण चिल्हीरामपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

बरामदगी-

01 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु), 02 अदद कान के झुमके (पीली धातु), 02 अदद कान के टप्स (पीली धातु), 02 अदद लड़ी वाली बिछिया (सफेद धातु), 02 अदद बिछिया (सामान्य सफेद धातु) व 02 अदद पाजेब (सफेद धातु) (लगभग ₹2,50,000 मूल्य के) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

मिशन शक्ति टीम के म0उ0नि0 ज्योति सविता मय हमराह मका कल्पना यादव,म0का0 खुशबू साहू,म0का0 प्रिया मिश्रा,म0का0 रितु सिंह, म0का0 अंजू यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- मिशन शक्ति टीम एवं एण्टी-रोमियो स्क्वाड द्वारा जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने हेतु सतत रूप से प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। थाना पट्टी क्षेत्र में घटित ई-रिक्शा सवार महिला के साथ आभूषण चोरी की घटना का त्वरित अनावरण मिशन शक्ति टीम द्वारा की गई सतर्कता, तत्परता एवं उत्कृष्ट टीमवर्क का परिणाम है।

अभियुक्ता महिलाओं की गिरफ्तारी एवं चोरी गए सोने-चाँदी के आभूषणों की बरामदगी से यह स्पष्ट है कि जनपद पुलिस महिलाओं से जुड़ी घटनाओं में संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। आमजन से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि अपराधियों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

प्रतापगढ़ पुलिस की 'मिशन शक्ति टीम' एवं 'एण्टी-रोमियो स्क्वाड' आमजन की सुरक्षा एवं विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है, तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।